

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

Email- mptownplan@mp.gov.in , Phone No. 0755-2427091

क्रमांक/1448

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्ररूप-2

{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}


प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्रमांक: मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 के उपनियम "एक" की शक्तियों का उपयोग करते हुए इंदौर विकास योजना, 2021 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से, दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र के रूप में संचालक, एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु इंदौर निवेश क्षेत्र में निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए अनुसार प्रस्तावित करता है : -

अनुसूची
(प्राप्ति क्षेत्र)

| सरल क्र. | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | इंदौर विकास योजना, 2021 का निवेश क्षेत्र | विकास योजना, 2021 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग | मार्ग की चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा |

प्रस्तावित प्राप्ति क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु किए गए प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिए आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तावित प्राप्ति क्षेत्र के संबंध में हों, तो यह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं।


(श्रीकांत बनोऊ)

वि.क.अ. सह-आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल